Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to ban and take action against all types of media and social media who spread negativity about M.P.'s speech in Parliament.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए । जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 105 और 105 (2) में प्रावधान है कि सदन में जो भी चर्चा होगी उसकी प्रोपर रिपोर्टिंग होगी और कोई भी सदस्य बिना किसी भय और पक्षपात के अपनी बातें रखेंगे । …(व्यवधान)

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, we are not getting the translation.

डॉ. निशिकांत दुबे : लेकिन, जिस समय यह अनुच्छेद 105 बना, उस समय सोशल मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी । मैं कल जीडीपी पर चर्चा कर रहा था और जीडीपी पर चर्चा करते हुए मैंने साइमन कजनेट्स, जिन्होंने 1934 में जीडीपी बनाया था, उनकी रिपोर्ट कोट की कि वे खुद ही अपनी जीडीपी से संतुष्ट नहीं हैं । पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा चल रही है । मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूं । आमर्त्य सेन, प्रो.जोसेफ स्टीगलिट्ज और जीन पॉल की वर्ष 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी साहब ने कमेटी बनाई थी । आमर्त्य सेन तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता माने जाते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, महान अर्थशास्त्री भी हैं । इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में वही बातें कहीं जो साइमन कजलेट्स ने 1934 में कही थीं कि जीडीपी कोई पैमाना नहीं है । इसके कारण वर्ष 2011 में यू.एन. का एक कन्वेंशन हुआ था । ओईसीडी की एक रिपार्ट है, जो इसी के नेतृत्व में चल रहा है । मैंने यह बात बहुत प्रमाण के साथ कही थी ।

13.00 hrs

जिसको जीडीपी मानना है, वह जीडीपी को माने । जिनको हैप्पीनेस इंडेक्स मानना है, जिनको डेवलपमेंट मानना है, जिनको गांव, गरीब या किसान को मानना है, वह उनको माने । जिनको अमेरिका मानना है, मैं आपको बताऊं

कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस आधार पर बने कि डॉलर और गोल्ड के आधार पर कंट्रीज तय होंगी । 1997 में आईएमएफ ने गोल्ड को छोड़कर, डॉलर की कन्वर्टिबिल्टी स्वीकार कर ली । मैंने अपनी सारी बातें तर्क के साथ रखी थीं, लेकिन मेरी बातों को मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया में मुझे, मेरी मां को, मेरे पिताजी को व्यक्तिगत तौर पर इतनी गालियां दी गईं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस सदन में बोलने में इस तरह की जो घटना होती है, सोशल मीडिया को बैन करने के लिए या ऐसी एक्टिविटी के लिए कानून बनाना चाहिए । मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है, उसके आधार पर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन पर रोक के लिए, आप हमारे कस्टोडियन और गार्जियन होने के नाते, क्योंकि आप संसद के गार्जियन हैं, आपको इस तरह से कोई कार्रवाई करनी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री गोपाल शेट्टी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री दुष्यंत सिंह को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह)बलिया:(अध्यक्ष जी, मैं निशिकांत जी की इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि उनके अधिकारों के, हम लोगों के अधिकारों के आप संरक्षक हैं । निशिकांत जी ने सोशल मीडिया के बारे में जो सवाल उठाया है और मैं एक किसान हूं, मैं जीडीपी को नहीं मानता हूं, जिसकी जो मर्जी हो, जाकर करे । मैं जानता हूं कि जीडीपी हमारे गांव और किसान का पैमाना तय नहीं करती है । निशिकांत जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके अधिकारों के, हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं, इस पर जरूर कार्रवाई करने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।